40—(08)—87—2017

पटना में दिनांक—12 जुलाई, 2017 बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1. बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अधीन गठित विशेष सुरक्षा दल (एस०एस०जी०) में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त 531 (पाँच सौ एकतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. सब जज/सब जज—सह—मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर कार्यरत् न्यायिक पदाधिकारी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

3. ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता के रिक्त 250 पदों पर सेवानिवृत सहायक अभियंताओं को संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

4. श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा, सम्प्रति निलंबित की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5. एम०जे०सी० संख्या—1081/14 सियादास एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (C.W.J.C. No. 3670/99 से उद्भूत) में दिनांक—19.12.14 को पारित न्यायादेश के आलोक में चार असमायोजित कर्मियों यथा श्री अम्बिका पासवान, श्री गंगा विशुन पासवान, श्री महेन्द्र पासवान एवं श्री आनंदी सिंह को दिनांक—10.01.92 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक कार्यभारित स्थापना के Substantive Post पर कार्यरत माने जाने एवं तीन समायोजित कर्मियों यथा सिया दास, भदारचन्द पासवान एवं विरजन पासवान को दिनांक—10.01.92 से समायोजन की तिथि तक कार्यभारित स्थापना के Substantive Post पर कार्यरत मानने की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No.-4509/16 में पारित न्याय निर्णय के आलोक विभागीय अधिसूचना संख्या–641 दिनांक–03.03.2016 द्वारा श्री अरविन्द कुमार खाँ, तत्का० अवर निबंधक, बाढ़ को संसूचित अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दण्ड को निरस्त करते हुए निन्दन का दण्ड अधिरोपित करने तथा रू० 2867.50 (दो हजार आठ सौ सड़सठ रू० पचास पैसे) मात्र की वसूली की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–83 के पटना–गया–डोभी खण्ड (कि०मी० 0.000 से कि०मी० 127.358 तक) के चौड़ीकरण हेतु गया जिलान्तर्गत अंचल–बेलागंज के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल–1.956 हेक्टेयर (अर्थात 4.833 एकड़) भूमि (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I)यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया अनुमण्डल के मौजा–धरियारी चक, थाना सं०–131, खाता सं०–07, 24, 25, 05, 05, 15 एवं तद्नुसार खेसरा सं०–क्रमशः– 72, 73, 74, 75, 76 तथा 77, रकबा–2.32 एकड़ मेहसी प्रखण्ड परिसर हेतु अधिगृहित भूमि 1,55,000/–(एक लाख पचपन हजार) रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से 3,59,60,000/–(तीन करोड़ उनसठ लाख साठ हजार) रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 4,49,50,000/–(चार करोड़ उनचास लाख पचास हजार) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित/–कुल– 8,09,10,000/– (आठ करोड़ नौ लाख दस हजार) रू० के एकमुश्त भुगतान पावरग्रीड की स्थापना हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

10. लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा लिपिक संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति प्रोन्नति तथा सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु लघु जल संसाधन विभाग के लेखा लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

11. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के संशोधन के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

12. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवनिर्मित 200 मॉडल स्कूलों के संचालन के लिए फर्नीचर/ उपस्कर क्रय हेतु इस योजनान्तर्गत प्रदत्त राज्यांश की अवशेष राशि ₹ 13242.62 लाख से ₹ 6584.00 लाख (पैसठ करोड़ चौरासी लाख) रूपया के वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

13. बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 95 में संशोधन का प्रस्ताव। — 13. स्वीकृत।

वित्त विभाग

14. दिनांक–01.01.1996 के पूर्व प्रवर कोटि वेतनमानों में सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. डा० जयबिन्द झा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेली, कटिहार को भ्रष्ट आचरण (misconduct) के लिये "बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007" की कंडिका–2 के नियम–14 (XI) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 16. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17. Contempt Petition (Civil) No. 262/2013 in C.A No. 516/2013 The Bihar State University and College Employees Federation Vs. Ashok Kumar and ors. में पारित न्यायादेश के आलोक में वादियों के भुगतान हेतु रू० 588,10,55,612/–(पाँच सौ अठासी करोड़ दस लाख पचपन हजार छः सौ बारह) मात्र एवं राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत सेवा निवृत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह जून, 17 से अगस्त, 17 तक वेतनादि/गैर वेतनादि मद में कुल रू० 544,27,29,479/–(पाँच सौ चौवालीस करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार चार सौ उन्यासी) मात्र अर्थात कुल रू० 1132,37,85,091/–(ग्यारह सौ बत्तीस करोड़ सैंतीस लाख पचासी हजार इक्यानबे) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।